

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,

अपर मुख्य सचिव,

30प्र0 शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-09

लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2024

विषय: राजस्व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/सेवाओं यथा आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के आधार अधिप्रमाणन हेतु।

महोदय,

आप अवगत हैं कि जनसामान्य से सम्बन्धित सेवाओं को सरलतम तरीके से जनमानस को उपलब्ध कराने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। तद्हेतु राजस्व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/ सेवाओं यथा आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के लिए आधार अधिप्रमाणन की व्यवस्था बनायी गयी है ताकि इन प्रमाण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया का सरलीकरण हो सके तथा सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को सुगमतापूर्वक प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित हो सके।

2- उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग से सम्बन्धित सेवायें, यथा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, 30प्र0 शासन के अधीन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अनवरत रूप से प्रदान की जा रही हैं।

3- अतः इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि केन्द्र सरकार के पत्रांक- 23011/gen/ 2014/Legal-UIDAI 15 सितम्बर, 2016 (v), पत्रांक-1-1/2019-UIDAI(DBT) 25 नवम्बर, 2019(x) तथा Aadhar for delivery of services by Government departments under Section 7 of Aadhar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016 (as amended)-reg. विषयक यू0आई0डी0ए0आई0 मुख्यालय, नई दिल्ली के द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप सं0-Fn. HQ-13079/55/2021-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

AUTH-II(E-6074)/3229 दिनांक 11-08-2022(y) के क्रम में 30प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-565/1-9-2023-रा0-9, लखनऊ दिनांक 18-4-2023 द्वारा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा हैसियत प्रमाण पत्र को आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान), 2016 (अधिनियम संख्या-18 सन 2016) की धारा-7 के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है।

4- तदक्रम में, शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु इच्छुक आवेदक से आधार लिंकड मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से आधार अधिप्रमाणन कर, फैमिली आईडी से जोड़ते हुए, प्रमाण पत्रों को निर्गत किये जाने हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:-

- (1)-सर्वप्रथम आवेदक द्वारा मोबाइल नम्बर/ई-मेल आईडी सहित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.up.gov.in पर लॉगिन किया जायेगा।
- (2)-लॉगिन के बाद आवेदक द्वारा अपना आधार नम्बर तथा मोबाइल नम्बर भरा जायेगा।
- (3)- तदुपरान्त आवेदक के आधार से लिंकड मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगी।
- (4)- आवेदक द्वारा ओटीपी सबमिट करते ही आवेदक का वही नाम, जन्मतिथि एवं फोटो प्रदर्शित होगा जो उसके आधार कार्ड में अंकित है (आवेदक के लिए फोटो बदले जाने का भी विकल्प उपलब्ध होगा)।
- (5)- सत्यापन के उपरान्त फैमिली आईडी, फैमिली आईडी सर्वर से स्वतः प्राप्त हो जायेगी। फैमिली आईडी प्राप्त न होने की दशा में भी आवेदक को प्रमाण पत्रों के लिये आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
- (6)- वर्तमान में प्रमाण पत्रों के निर्गमन हेतु निर्धारित शुल्क, सत्यापन तथा अनुमोदन की प्रक्रिया यथावत रहेगी।

5- उपरोक्त के फलस्वरूप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया सरलीकृत हो जायेगी एवं वास्तविक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित होने के साथ-साथ लाभार्थी को बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। यह प्रक्रिया दक्ष एवं पारदर्शितायुक्त है, जो नागरिकों को सरलतापूर्वक सेवार्यें उपलब्ध करायेगी। इस योजना के संचालित होने के फलस्वरूप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के उपरान्त परिवार के अन्य सदस्य द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सुगमता से, बिना किसी विलम्ब के, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा।

6- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रक्रियानुसार आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के निर्गमन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
सुधीर गर्ग  
अपर मुख्य सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग 30प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2-प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन, लखनऊ।
- 3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0, लखनऊ।
- 4-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5-राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
- 6-राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, 30प्र0, लखनऊ।
- 7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
घनश्याम चतुर्वेदी  
अनु सचिव।